रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 1975 आश्विन 23, 1897
No. 205] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 1975/ASVINA 23, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th October 1975

SUBJECT.—*Information/Procedure regarding Exports to Yugoslavia under Limited Rupee-Payment-Arrangement.*

No. 44-ETC(PN)/75.—In the context of the liquidation of Rupee Liability worth Rs. 800 Lakhs by way of exports of goods to Yugoslavia, it has been decided in consultation with the Government of Yugoslavia that the Exports of selected products be allowed under Limited Rupee Payment Arrangement. An approximate indication of products and the ceilings for such Rupee exports to Yugoslavia are given below.—

	(Rupees in Lakhs approximate)
(i) Wire Ropes	300
(ii) Steel Slabs	135
(iii) Wagon components	58
(iv) Wire Strands	50
(v) Diesel Engines and parts	50
(vi) Commercial vehicles	67
(vii) Textiles of cotton, silk and man-made fibres	100
(viii) Linoleum	40
TOTAL	800

2. In order to regulate such exports to Yugoslavia under the Limited Rupee Payment Arrangement, the following procedure has been prescribed:—

I. Such exporters who wish to export the goods mentioned in para 1 above under the Rupee Payment Arrangement are required to have their contracts registered with immediate effect with the Export Promotion Council concerned. Only such exporters need to apply who have a contract with an importer in Yugoslavia possessing a valid import licence issued by the Yugoslav authorities.

A list of registering agencies is enclosed. While doing so, the exporters are required to furnish to the Export Promotion Councils concerned, in duplicate, the following information in addition to the copy of the contracts:

(a) Name and address of the Yugoslav importer having valid import licence;

(b) Contract number and date;

(c) Delivery schedule;

(d) Indian port from which the shipment is to be effected for export;

(e) Commodity and value thereof involved;

(f) Name of the Yugoslav Port to which the shipment is to be booked for export.

II. Export Promotion Council will register the contracts on first come, first served basis and issue necessary advice to the exporters and the Port Licensing Authority (in case of items which are under Export Control), and to the Customs Authorities (in respect of items which are not under Export Control and also those which are included under OGL 3).

III. The exporter will submit the shipping bill in respect of controlled items (except those under OGL 3) for export to Yugoslavia in Rupees to the Export Control Authorities and the ETC authorities shall allow export of only controlled items by endorsement on shipping bills in accordance with Export Policy for that item in force on the date of passing of the shipping bill(s). Shipment in respect of items which are not under Export Control and those which are under OGL 3 shall be allowed directly by the Customs Authorities in the normal manner.

IV. The particulars of shipment, value, contract number, name of exporter will be transmitted by the Export Promotion Council concerned once a fortnight, i.e., by the 15th and the 30th of each month to the Ministry of Commerce (Shri B. Sahay, Dy. Secretary, FT/WE), New Delhi by name.

3. Exporters are advised to note that all contracts for export in Rupees to Yugoslavia under this arrangement must have the prior approval of the concerned Export Promotion Council by way of registration of their contracts.

4. Exporters are further advised to indicate to the Export Promotion Councils concerned as soon as the shipment from India takes place.

5. Ceilings will be watched by the concerned Export Promotion Councils and they will stop registering the contracts as soon as ceilings are reached.

ENCLOSURE

List of Registering Agencies of Contract for Export to Yugoslavia under Rupee-Payment-Arrangement

1. Engineering Export Promotion Council, Calcutta..
2. Plastics and Linoleum Export Promotion Council, Bombay.
3. The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay.
4. Silk and Rayon Export Promotion Council, Bombay.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1975

विषय :—यूब सीमित रुपया–भुगतान-व्यवस्था के अन्तर्गत यूगोस्लाविया के लिए निर्यातों के सम्बन्ध में जानकारी/क्रियाविधि ।

सं० 44–ई०टी०सी०(पी० एन०)/75.—यूगोस्लाविया को माल के निर्यातों द्वारा 800 लाख रुपये के ऋण के निर्धारण के सम्बन्ध में यूगोस्लाविया की सरकार के साथ परामर्श कर यह निश्चय किया गया है कि चुने हुए उत्पादों के निर्यातों को सीमित रुपया भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृति दे दी जाए । उत्पादों का लगभग संकेत एवं यूगोस्लाविया को इस प्रकार के रुपया निर्यात की उच्चतम सीमा नीचे दी गई है :—

	(लगभग रुपए में मूल्य)
(1) बायर रोप्स . . .	300
(2) इस्पात स्लेब्स . . .	135
(3) वेगन उपकरण	58
(4) बायर स्ट्रैन्ड्स . . .	50
(5) डीजल इंजन एवं पुर्जे . .	50
(6) वाणिज्य वाहन . . .	67
(7) सूती, रेशमी कपड़े एवं हाथ से बुने हुए वस्त्र	100
(8) लिनोलियम . . .	40
कुल	800

2. सीमित रुपया भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत यूगोस्लाविया के लिए ऐसे निर्यातों का नियमन करने हेतु निम्नलिखित क्रियाविधि निर्धारित की गई है :—

1. ऐसे निर्यातक जो रुपया भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत उपर्युक्त कंडिका 1 में उल्लिखित माल का निर्यात करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे तत्काल ही अपनी संविदाएं सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् के पास पंजीकृत करा दें । केवल उन निर्यातकों को आवेदन करना चाहिए जिसके पास यूगोस्लाविया के उस आयातक के साथ की गई संविदा है जिनके पास जारी किया गया वैध आयात लाइसेंस है ।

पंजीकरण करने वाले अभिकरणों की एक सूची संलग्न है । ऐसा करते समय निर्यातकों को चाहिए कि वे सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद को संविदा की प्रति के अतिरिक्त निम्नलिखित जानकारी की दो प्रतियां भेजे :—

(क) उस यूगोस्लाव आयातक का नाम और पता जिसके पास वैध आयात लाइसेंस है ।

(ख) संविदा की संख्या एवं दिनांक

(ग) सुपुर्दगी सारणी

(घ) उस भारतीय पत्तन का नाम जहां से निर्यात के लिए लदान प्रभावी किया जाना है ।

(ङ) उसमे शामिल पण्यवस्तु एव उसका मूल्य ।

(च) उस युगोस्लाव पत्तन का नाम जिसके लिए निर्यात के लिए लदान बुक किया जाना है ।

2. निर्यात संवर्धन परिषद पहले आए सो पहले पाए के आधार पर संविदाएं पंजीकृत करेगी और निर्यातकों एवं पत्तन लाइसेंस प्राधिकारी को (उन मदो के मामले में जो निर्यात नियंत्रण के अधीन हैं) और सीमाशुल्क प्राधिकारियो को (उन मदो के मामले मे जो कि निर्यात नियंत्रण के अधीन नहीं हैं और जो खुला सामान्य लाइसेंस सं० 3 के अन्तर्गत शामिल की गई हैं) आवश्यक परामर्श जारी करेगी ।

3. निर्यातक निर्यात नियंत्रण प्राधिकारियों को युगोस्लाविया के लिए निर्यात के लिए नियंत्रित मदों के मामले में (खुला सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत आने वाली को छोड कर) रुपये में लदान बिलों को भेजेगा और निर्यात नियंत्रण प्राधिकारी केवल नियंत्रित मदों के निर्यात के लिए ही स्वीकृति देंगे और यह स्वीकृति लदान बिल (बिलों) को पास करने की तारीख को इन मदों के लिए लागू निर्यात नीति के अनुसार लदान बिलों पर पृष्ठाकंन करके दी जाएगी । उन मदों के सम्बन्ध में लदान की स्वीकृति सीधे ही सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा साभान्य विधि से दे दी जाएगी जो निर्यात नियंत्रण के अधीन है और जो खुला सामान्य लाइसेंस सं० 3 के अन्तर्गत आती हैं ।

4. लदान, मूल्य संविदा सं० एवं निर्यातक के नाम के ब्यौरे सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा वाणिज्य मंत्रालय (श्री बी० सहाय, उप सचिव, एफ० टी०/डब्ल्यू० ई०) नई दिल्ली के नाम में एक पखवारे में एक बार अर्थात् प्रत्येक मास की 15 तारीख को एवं 30 तारीख को भेजे जायेंगे ।

3. निर्यातको को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इसे नोट कर लें कि इस व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत युगोस्लाविया के लिए रुपये मे सभी निर्यात संविदाओ के लिए सम्बद्ध निर्यात सवर्धन परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और यह उन की संविदाओ के पंजीकरण द्वारा होगा ।

4. निर्यातकों का और आगे यह सलाह दी जाती है कि भारत से जैसे ही लदान प्रभावी होता है वे उसके बारे मे सबम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् को सूचना भेजे ।

5. उच्चतम सीमा की निगरानी सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा रखी जाएगी और जैसे ही उच्चतम सीमा खतम हो जाती है वे संविदाओं का पंजीकरण बन्द कर देंगे ।

अनुलग्नक

1. अभियांत्रिक निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता ।
2. प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई ।
3. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई ।
4. रेशम तथा रेयान निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई ।

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975